राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर वृत्त, उदयपुर

वाणिज्यिक/आवासीय आवास/ भूखण्डों की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर वृत में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय आवास/वाणिज्यिक भूखण्डों की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है–

क्र. सं.	कॉलोनी का नाम	निविदा प्राप्त अधिकारी का पता	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय
1	गोविन्द नगर, राजसमन्द/ सुखाड़िया नगर, नाथद्वारा	परियोजना अभियन्ता (वरि.) राजस्थान आवासन मण्डल, जी–18, गोविन्द नगर, राजसमन्द (राज.)	02.12.2015 से 07.12.2015 सांय 5.00 बजे तक	08.12.2015 प्रातः 11.00 बजे

क्र.सं.	भूखण्ड/ आवास सं.	भूखण्ड/ आवास का नाप/ क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रवर्गमी)/ प्रति आवास	धरोहर राशि (रू. में)
(1) गोविन्द नगर, राजसमन्द (आवासीय भू–खण्ड)				
1	M-25(A) EWS	4.00x9.00=36.00	7100.00	12780.00
2	M-25(B) EWS	4.00x9.00=36.00	7100.00	12780.00
(2) द्वारिका नगर, राजसमन्द (आवासीय भू–खण्ड)				
1	F-13 MIG-A	6.00x15.00=90.00	8500.00	38250.00
2	A-01 HIG	10.50x18.00=189.00	9500.00	89775.00
(3) गोविन्द नगर, राजसमन्द (आवासीय आवास)				
1	O-42/6	8.0x15.0=120.00	2400000.00	120000.00
2	P-29/6 MIG-B	9.0x18.0=162.00	2900000.00	145000.00
(4) द्वारिका नगर राजसमन्द (आवासीय आवास)				
1	D-11 HIG	10.50x18.00=189.00	3400000.00	170000.00
(5) गोविन्द नगर राजसमन्द (व्यावसायिक भू–खण्ड)				
1	S-37	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00
2	S-38	3.00x3.00=9.00	46000.00	20700.00
3	S-39	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00
4	S-40	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00
5	S-42	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00
6	S-43	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00
7	S-47	3.00x3.00=9.00	45000.00	20250.00

मुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारुप

आवेदक का फोटो नोटेरी /राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित

निविदादाता का नाम ....श्रेणी - सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति....................

(प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

पत्र व्यवहार का पता ....

स्थायी पता ....

दूरभाष ....मो.नं. ....

आवासीय/वाणिज्यिक आवास/भूखण्ड सं. ....(जिसके लिये मुहरबंद निविदा प्रेषित की जा रही है)

योजना का नामः– गोविन्द नगर राजसमन्द/ द्वारिका नगर, राजसमन्द

आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर

(भूखण्ड की स्थिति में दर प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दर भरें एवंनिर्मित आवास की स्थिति में प्रति आवास के हिसाब से दर भरें)

संलग्न राशि रू. .... बैंक ड्राफ्ट सं. .... दिनांक ....बैंक का नाम ....पेन नं. ....

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>लिफाफे का प्रारुप</u>

भूखण्ड/आवास संख्या .... योजना/सेक्टर का नाम ....निविदादाता का नाम .... स्थायी पता ....दूरभाष/मोबाईल नं. ....

Corner property = F-13, A-01 (Dwarika Nagar, Rajsamand) & S-38 (Govind Nagar Rajsamand)

1. किसी भी मोहरबंद प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध भूखण्ड/ आवास हेतु मोहरबंद प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे–ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" के पक्ष में देय होगें। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं कराता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं कराता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं कराता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद भूतलक्षी प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। 10. मोहरबंद निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में, समिति द्वारा मौके पर उपस्थिति उन निविदा दाताओं से उसी दिन बंद लिफाफे में पुनः निविदा दर प्राप्त की जावेगी व उच्चतम प्राप्त दर पर विचार किया जावेगा। 11. यदि किसी कंपनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी कंपनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्त दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/ कंपनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 12. निर्मित आवास जहां है, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलाम किये जा रहे है तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। 14. आवासीय भूखण्डो के मामलो में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थनिक भूखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। मण्डल के नियमानुसार अन्य विविध खर्चे देय होंगे। नीलामी की अन्य शर्ते राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर एवं संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय दिवस में देखी एवं प्राप्त की जा सकती है।

आवासीय अभियन्ता, खण्ड–द्वितीय

मो.नं. 9828109423

उप आवासन आयुक्त